



केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मु.)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागतक्षेत्र/18, Institutional Area,
शहीदजीतसिंहमार्ग/SaheedJeet Singh Marg
नईदिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोननं./Phone No. : 26561153, 26858570,
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110230(विविध)2019/केविसं(मु°)/पें | 5986

दिनांक : 22.10.2019

प्रबंधक (संस्था),
भारतीय स्टेट बैंक,
मुख्य शाखा (चौथी मंज़िल)
संसद मार्ग, नई दिल्ली,

विषय:- सांतवे वेतन आयोग के अनुपालन में 01.07.2019 से परिशोधित महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

महोदय/महोदया ,

उपरोक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए दरों के पुनर्निरीक्षण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या F.42 / 04/2019-P & PW (D) दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 द्वारा महंगाई राहत को दिनांक 01.07.2019 से 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु उपरोक्त ज्ञापन का अनुपालन करें।

भवदीय

(डा० ई० प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (प्रशि० एवं वित्त)

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त (ई.डी.पी.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली - यह पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में "घोषणा" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
2. सहायक आयुक्त (वित्त) बजट, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली - सूचनार्थ

ई प्रभाकर

संयुक्त आयुक्त (प्रशि० एवं वित्त)